

23.2.21

तकमील जतेवाशेगल उपाखिल वाशि एवं
उसके आशिक्षासु उपाखिल नही। उते
उई वार आकाज लगवदि गई। कोई
हाजिर जवाम नही आया। और ना ही
कोई उपाखिल आया। अतः हावा वाशिगल
अदम हाजिरी व अदम पैरवी मे खारिज
रिखा जाता है। पश्चातकी फंसलसुमा होकर
वाश तकमील हस्र जप्रा दाखिल वफतर
है।

रुपखण्डधिकारी
धौलपुर (राज०)